न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक खन्ना, आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
91/2020	दावा 88 RTA	03.09.2020	05.01.2021

कोजूराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी धोधलिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
—वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू तहसील व जिला चूरू
—प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी वादी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 311 तादादी 1.7705 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312 तादादी 2.7822, खसरा नम्बर 681/58 तादादी 1.2140 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 682/58 तादादी 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 683/58 तादादी 0.5681 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल तादादी 6.3864 हैक्टेयर वाके रोही धोधलिया तहसील व जिला चूरू में वादी की एकल खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि पर वादी का एकल कब्जा काश्त व खातेदारी चली आ रही है जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 की प्रमाणित प्रतिलिपि दावा हाजा के साथ प्रस्तुत की जा रही है। उक्त कृषि भूमि वादी की दादालाई है। प्रतिवादी के पिता किशनाराम का स्वर्गवास होने के बाद उनका पैतृक इन्तकाल कोजीराम के नाम से दर्ज हुआ तथा इस आधार पर गलत दर्ज हो गया। वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त कषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत ही दर्ज हो गया जो आज तक गलत ही अंकित चला आ रहा है जिस कारण वादी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता। इसलिए नाम को दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि वादी के पिता किशनाराम के पुत्र कोजीराम का सही व उचित नाम कोजूराम है एवं कोजीराम नाम की कोई अन्य सन्तान नहीं है। ना ही धोधलिया में इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति है बल्कि वादी का असली नाम कोजूराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी धोधलिया तहसील व जिला चूरू है। वादी के पिता किशनाराम के फौत होने के बाद वादी के परिवार में वादी को लाड़ प्यार से कोजीराम कहने के कारण वादी का नाम कोजीराम दर्ज होगया था जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम कोजीराम के स्थान पर कोजूराम दर्ज किया जावे। वादी के नाम कोजूराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल के नाम से राशन कार्ड संख्या 00739, आधार कार्ड संख्या 831642142914, बैंक पासबुक ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स खाता संख्या 011621910612732, भामाशाह कार्ड संख्या VBJSGOJ, पेन कार्ड संख्या EORPR1433F आदि वैध दस्तावेज बने हुए हैं। वादी ने जब के.सी.सी. बनाने हेतु सम्बन्धित बैंक में सम्पर्क किया तो पता चला कि उसका नाम खातेदारी में गलती से कोजीराम अंकित हो गया है जबकि प्रत्येक दस्तावेज में नाम कोजूराम है जिसे दुरूस्त कराने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.03.08 10:53:14 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादी ने प्रतिवादी को कहा व कहलवाया कि वादी का नाम मूल दस्तावेज के आधार व अनुसार राजस्व रिकार्ड में कोजूराम सही अंकित करवा देवें मगर प्रतिवादी टालमटोल करते रहे व आखिरकार दिनांक 26.08.2020 को प्रतिवादी ऐसा करने से साफ–साफ इन्कार कर दिया लिहाजा यही तारीख दिनांक 26.08.2020 से वाद कारण तथा वाद हैतुक वादी को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया है। निवास स्थान फेरीकेन व वादग्रस्त कृषि भूमि जो कि ग्राम धोधलिया तहसील व जिला चूरू में अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्ररशुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादी की ओर से दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 311 तादादी 1.7705 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312 तादादी 2.7822, खसरा नम्बर 681/58 तादादी 1.2140 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 682/58 तादादी 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 683/58 तादादी 0.5681 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल तादादी 6.3864 हैक्टेयर वाके रोही धोधलिया तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम कोजीराम पुत्र किशनाराम के बजाय कोजूराम पुत्र किशनाराम दुरूस्त कर दर्ज फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम अंकन करने का आदेश प्रदान किया जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार राज ने जवाब में अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 व 2 राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित होने से स्वीकार हैं। दावा की मद सं. 3 आंशिक स्वीकार है क्योंकि पैतृक इन्तकाल में वादी का नाम कोजीराम है और दस्तावेज में कोजूराम है जो कि नाम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। दावा की मद सं. 4 जो कि वादी से सम्बन्धित होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। दावा की मद सं. 5 आंशिक स्वीकार है क्योंकि पैतृक इन्तकाल में वादी का नाम कोजीराम है। दावा की मद सं. 6 आंशिक स्वीकार है क्योंकि वादी के सभी दस्तावेज में वादी का नाम कोजूराम है। दावा की मद सं. 7 आंशिक स्वीकार है। दावा की मद सं. 8 अस्वीकार है क्योंकि वादी कभी भी इस नाम को दुरूस्त करवाने नहीं आया और कभी अदालत में कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। दावा की मद सं. 9 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। दावा की अन्तिम मद में जो अनुतोष चाहा गया है वह अनुतोष यदि स्वीकार किया जाता है तथा खातेदारी में वादी का सही नाम दुरूस्त किया जाता है तो राजस्व को किसी प्रकार की क्षति/हानि नहीं होती है।

पैरोकार राज की ओर से इकबाल जवाब पेश होने पर पत्रावली साक्ष्यवादी में रखी गई। साक्ष्यवादी कोजूराम ने उपस्थित होकर साक्ष्य [illegible] त्र पेश किया जिस पर गवाह के बयान लेखबद्ध किये गये। पैरोकार रा[illegible] रही। बयान बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किये गये। वादी द्वारा अन्य साक्ष्य [illegible] नहीं करने पर साक्ष्यवादी बन्द की जाकर पत्राली बहस हेतु नियत की गई। नियत दिनांक को वकील वादी ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील वादी व पैरोकार राज की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.03.08 10:53:14 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी ने बहस में निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि वादी की पैतृक खातेदारी की है जो वादी को विरासतन प्राप्त हुई है। उक्त विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय वादी

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

का परिवार में लाड़ प्यार से बोला जाने वाला नाम कोजीराम दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम कोजूराम है। राजस्व रिकार्ड में वादी के गलत दर्ज नाम के कारण वादी को के.सी.सी. बनाने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफी कठिनाई व असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उक्त नाम संशोधन के पीछे मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। भविष्य में उक्त नाम बाबत किसी प्रकार का विवाद होने पर समस्त जिम्मेवारी मेरी स्वयं की होगी। अतः दावा स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कोजीराम पुत्र किशनाराम के स्थान पर सही व दस्तावेजी नाम कोजूराम पुत्र किशनाराम दर्ज करने का आदेश फरमावें। पैरोकार राज ने दावा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने का कथन करते हुए जाहिर किया कि वादी का नाम शुद्ध किये जाने से राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की हानि होने की सम्भावना नहीं है।

उभय पक्षकारान को सुना जाकर पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। प्रदर्श–7 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 खसरा नं. 311, 312, 681/58, 682/58, 683/58 कुल तदादी 6.3864 हैक्टेयर रोही धोधलिया में कोजीराम पुत्र किशनाराम जाति मेगवाल नाम दर्ज है जिसको वादी शुद्ध करवाना चाहता है। वादी के अन्य दस्तावेजात् प्रदर्श–1 ए राशन कार्ड सं. 007052400739, प्रदर्श–2 ए आधार कार्ड सं. 851642142914, प्रदर्श–3 ए बैंक पासबुक खाता सं. 01162191061273, प्रदर्श–4 ए भामाशाह कार्ड संख्या VBJSGOJ, प्रदर्श–5 ए पेन कार्ड संख्या EORPR1433F समस्त में वादी का नाम कोजूराम पुत्र किशनाराम अंकित है। प्रदर्श–6 प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण सं. 66 दिनांक 15.06.1984 के अनुसार वादी के पिता का स्वर्गवास होने पर उक्त विरासतन नामान्तरकरण वादी व अन्य वारिसान के नाम दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है जिसमें वादी का नाम कोजीराम वल्द किसना दर्ज है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नं. 311, 312, 681/58, 682/58, 683/58 कुल तदादी 6.3864 हैक्टेयर रोही धोधलिया में वादी का नाम कोजीराम पुत्र किशनाराम जाति मेगवाल दर्ज है जिसको वादी शुद्ध करवाना चाहता है। वादी के समस्त दस्तावेजात् राशन कार्ड सं. 007052400739, आधार कार्ड सं. 851642142914, बैंक पासबुक खाता सं. 01162191061273, भामाशाह कार्ड संख्या VBJSGOJ, पेन कार्ड संख्या EORPR1433F में वादी का नाम कोजूराम पुत्र किशनाराम अंकित है। दावा में प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू की ओर से पैरोकार राज ने अपने जवाब में वादी का नाम दुरूस्त करने राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की राजस्व हानि होने की सम्भावना नहीं बताई है। पेश दावा व दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादी वादगत कृषि भूमि का एकल खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कोजीराम गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी के अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम कोजूराम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को के.सी.सी. आदि में कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होने से उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजों एवं पैरोकार राज के जवाब के आधार पर वादी का दावा स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.03.08 10:53:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

निर्णय

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं पैरोकार राज जवाब के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 311 तादादी 1.7705 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312 तादादी 2.7822, खसरा नम्बर 681/58 तादादी 1.2140 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 682/58 तादादी 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 683/58 तादादी 0.5681 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल तादादी 6.3864 हैक्टेयर वाके रोही धोधलिया तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम कोजीराम पुत्र किशनाराम के बजाय कोजूराम पुत्र किशनाराम अंकित करने का आदेश दिया जाता है। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादी की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक खन्ना, आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.03.08 10:53:14 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री अभिषेक खन्ना आई0ए0एस0

कोजूराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी धोधलिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू तहसील व जिला चूरू
–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 91 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं पैरोकार राज जवाब के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 311 तादादी 1.7705 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312 तादादी 2.7822, खसरा नम्बर 681/58 तादादी 1.2140 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 682/58 तादादी 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 683/58 तादादी 0.5681 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल तादादी 6.3864 हैक्टेयर वाके रोही धोधलिया तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम कोजीराम पुत्र किशनाराम के बजाय कोजूराम पुत्र किशनाराम अंकित करने का आदेश दिया जाता है। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादी की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 05 माह जनवरी सन् 2021 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.03.08 10:53:14 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू